संख्या-117/2023/846/41-2023-11(सा0)/2023

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 22 फरवरी, 2023

विषय: जनपद मथुरा के अंतर्गत गोकुल बैराज के अपस्ट्रीम बायीं तरफ वासुदेव वाटिका विकसित किये जाने हेतु सिंचाई विभाग के स्वामित्व की भूमि को पर्यटन विभाग के निवर्तन पर निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र संख्या-6666/6-1-1/ब्र0ती0वि0प0/(172)/2022, दिनांक 13.12.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद मथुरा के अंतर्गत गोकुल बैराज के अपस्ट्रीम बायीं तरफ वासुदेव वाटिका विकसित किये जाने हेतु सिंचाई विभाग के स्वामित्व की भूमि को पर्यटन विभाग के निवर्तन पर निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने के संबंध में मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अवगत कराना है कि विविध पर्यटन आकर्षणों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। अपनी गौरवशाली ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासतों तथा समृद्ध प्राकृतिक वन सम्पदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम सम्भावनायें हैं। पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों एवं पर्यटन पारिस्थितिकियों के समन्वित एवं सुनियोजित विकास हेतु अनेक कार्य कराये जा रहे हैं। पर्यटन विकास की इन परियोजनाओं हेतु राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्रदेश सरकार से बजट व्यवस्था के माध्यम से प्रतिवर्ष धनराशि प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन स्कीम एवं प्रसाद स्कीम के अन्तर्गत भी धनराशि प्राप्त होती है। जनपद मथुरा में मथुरा, वृन्दावन, गोकुल, महावन, बल्देव, बरसाना, नंदगांव एवं गोवर्धन धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से विश्व विख्यात स्थल हैं। यहां देश-विदेश से लाखों पर्यटक श्रीकृष्ण जी की जन्मस्थली मथुरा में दर्शनार्थ आते हैं। ब्रज क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत एवं पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से उ0प्र0 सरकार के विधायी विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-1548/79-वि-1-17-1(क)/5-2017 दिनांक 14 अगस्त, 2017 द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया है। उक्त परिषद के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं।

उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद के गठन के उपरान्त उ0प्र0 शासन से 101 परियोजनायें स्वीकृत करायी गयी हैं, जिनमें से अधिकतर का क्रियान्वन हो चुका है। परिषद द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के कारण जनपद में स्थित धार्मिक महत्व के स्थलों का समुचित विकास हो रहा है। धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्थल होने के कारण ढांचागत एवं अन्य सुविधाओं के सतत् विकास हेतु परिषद लगातार प्रयासरत है । ब्रज क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में यमुना जी का विशेष महत्व है। यमुना जी के तट पर स्थित तीर्थनगरी गोकुल में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देश-विदेश से पर्यटक एवं श्रद्धालु आते हैं लेकिन तीर्थ यात्रियों के लिए यहाँ पर कोई ऐसा मनमोहक स्थान उपलब्ध नहीं है जहाँ पर बैठकर अल्प विश्राम कर सकें।

गोकुल बैराज के पास सिंचाई विभाग के स्वामित्व की लगभग 13.101 हेक्टेयर भूमि रिक्त पड़ी हुई है। यह स्थल तीर्थ यात्रियों के लिए एक आदर्श विश्राम स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। यहाँ पर ब्रज की स्थानीय प्रजातियों के वृक्षों का रोपण कराकर जन-सुविधायुक्त बनाया जा सकता है। सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1999 में उक्त भूमि पर मनभावन पार्क की परियोजना तैयार की गई थी, जो नगर विकास विभाग द्वारा वित्त पोषित की जानी थी, परन्तु कतिपय कारणों से उक्त परियोजना हेतु धनावंटन न होने के कारण इसका क्रियान्वयन नहीं हो सका। इस परियोजना के क्रियान्वयन से गोकुल तीर्थ स्थली में जन-सामान्य एवं पर्यटकों/श्रद्धालुओं के लिए एक वृहद् थीम पार्क उपलब्ध होगा। निष्प्रयोज्य पड़े रहने की स्थिति में उक्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद की मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनॉक 14.02.2021 को सम्पन्न तृतीय बोर्ड बैठक में अन्य परियोजनाओं के साथ प्रश्नगत भूमि पर वासुदेव वाटिका के नाम से परियोजना तैयार किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनॉक 07.06.2022 को सम्पन्न उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा की पंचम बैठक के मद संख्या-15/05 के संदर्भ में परिषद द्वारा निम्नलिखित निर्णय/निर्देश दिए गये हैं:-

''परिषद द्वारा निर्देश दिए गये कि सिंचाई विभाग द्वारा नियमानुसार अनापत्ति निर्गत करने पर कार्यवाही की जाये।''

परियोजना के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं-

1-ओपन एम्फीथियेटर, 2-ओपन एम्फीथियेटर के सामने वाटर बॉडी, 3-प्रवेश प्लाजा, 4-टॉयलेट ब्लॉक, 5-पॉण्ड, 6-पब्लिक प्लाजा, 7-बाउण्ड्रीवाल, 8-पार्किंग हेतु बाउण्ड्रीवाल, 9-बाह्य विकास कार्य, 10-उद्यानीकरण, 11-यमुना वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट।

इसी प्रकार वृन्दावन से गोकुल बैराज तक वाया मथुरा जलमार्ग (लम्बाई लगभग 24 कि0मी0) विकसित किए जाने की परियोजना भी विचाराधीन है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मथुरा के अंतर्गत गोकुल बैराज के अपस्ट्रीम बायीं तरफ वासुदेव वाटिका विकसित किये जाने हेतु सिंचाई विभाग के स्वामित्व की भूमि को पर्यटन विभाग के निवर्तन पर निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 14.02.2023 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

(क) उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत जनहित में श्रद्धालुओं/पर्यटकों की सुविधा के दृष्टिगत मथुरा जनपद में श्री यमुनाजी के तट पर गोकुल बैराज के पास ग्राम गोकुल खादर की सिंचाई विभाग की भूमि गाटा संख्या-01 कुल रकबा 18.3890 हेक्टेयर (अकृषक भूमि), जो श्री यमुना जी के नाम दर्ज है, में से रिक्त भूमि रकबा 13.1018 हेक्टेयर को वासुदेव वाटिका परियोजना के निर्माण हेतु उ0प्र0 पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किया जाना।

(ख) प्रकरण में अग्रत्तर निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया।

4- जनपद मथुरा के अंतर्गत गोकुल बैराज के अपस्ट्रीम बायीं तरफ वासुदेव वाटिका विकसित किये जाने हेतु सिंचाई विभाग के स्वामित्व की भूमि को पर्यटन विभाग के निवर्तन पर निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जायेगा :-

1. यह अनापत्ति केवल मनभावन उद्यान (वासुदेव वाटिका) के निर्माण हेतु निर्गत की जा रही है , किसी भी दशा में इस भूमि का प्रयोजन अन्य कार्य हेतु वर्जित है।
2. भूमि पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 का ही स्वामित्व रहेगा।
3. ताज ट्रिपेजियम जोन (टी.टी.जेड) एवं मा0 एन.जी.टी. द्वारा दिये गये आदेशानुसार पर्यावरण सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा/कार्यदायी संस्था की होगी तथा किसी भी वाद-विवाद की जिम्मेदारी भी उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा/कार्यदायी संस्था की ही होगी।
4. उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा/कार्यदायी संस्था द्वारा किसी प्रकार का मलबा अर्थात् दूषित पदार्थ आदि सीधे नदी में प्रवाहित नहीं किया जायेगा और न ही सिंचाई विभाग की किसी भूमि पर एकत्रित किया जायेगा।
5. मनभावन उद्यान (वासुदेव वाटिका) के निर्माण कार्य के दौरान नदी एवं गोकुल बैराज की मूल संरचना तथा गाईड बन्ध आदि में किसी प्रकार की क्षति नहीं की जायेगी।
6. भूमि का प्रयोजन उसी कार्य हेतु किया जायेगा , जिस प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रदान की जा रही है।
7. उक्त स्थल पर निर्माण के दौरान यदि किसी प्राचीन वस्तु व अन्य किसी मूल्यवान वस्तु , खनिज आदि की प्राप्ति होती है, तो इसकी सूचना तत्काल अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, मथुरा को दी जायेगी।
8. किसी भी विभाग अथवा संस्था से अनापत्ति उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा/कार्यदायी संस्था द्वारा ही प्राप्त की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9. मनभावन उद्यान (वासुदेव वाटिका) के निर्माण से पूर्व ड्राईंग की प्रति विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
10. कार्य के दौरान उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार के जन-धन की हानि का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा/कार्यदायी संस्था का होगा तथा क्लेम की स्थिति में समस्त प्रतिकर का भुगतान उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा/कार्यदायी संस्था द्वारा सम्बन्धित को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
11. मनभावन उद्यान (वासुदेव वाटिका) के निर्माण के समय विभागीय संरचनाओं को होने वाली किसी भी क्षति की पूर्ति उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा/कार्यदायी संस्था द्वारा की जायेगी, जिससे सम्बन्धित प्राक्कलन पृथक से सिंचाई विभाग द्वारा प्रेषित किया जायेगा। प्राक्कलित धनराशि उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा/कार्यदायी संस्था द्वारा डिपोजिट मद के रूप में खण्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।
12. उक्त अनापत्ति जारी किये जाने के उपरान्त उ 0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा/कार्यदायी संस्था एवं अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, मथुरा में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में अधीक्षण अभियंता, तृतीय मण्डल, सिंचाई कार्य आगरा का निर्णय मान्य होगा।
13. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता है अथवा निर्गत अनापत्ति पर उच्च स्तर द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति की जाती है तो यह अनापत्ति पत्र स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी तथा किसी भी मा0 न्यायालय में वाद-विवाद के लिये वैध नही रहेगा तथा न ही किसी भी प्रकार का कोई क्लेम आदि मान्य होगा।
14. प्रस्तावित भूमि फ्लड प्लेन जोन में स्थित होने के कारण उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा द्वारा आवश्यकतानुसार मा0 एन0जी0टी0 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा द्वारा यथासम्भव वासुदेव वाटिका को अधिकतम हरित क्षेत्र में विकसित करते हुए गोकुल ग्राम के अनुरूप एवं स्थानीय पारिस्थितिकी के अनुसार कदम्ब, पलाश आदि वृक्षों के वृक्षारोपण किए जाने पर विचार किया जाये, जिससे कि श्रीकृष्ण कालीन भूदृष्य की अनुभूति हो सके। उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा पर्यटकों की सुविधा हेतु न्यूनतम अनुरक्षण वाले प्रसाधन गृह एवं आवश्यकतानुसार पार्किंग बनाई जाये एवं किसी प्रकार का अनावश्यक पक्का निर्माण नहीं किया जाये। मनभावन उद्यान (वासुदेव वाटिका) के अनुरक्षण का कार्य उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा द्वारा किया जायेगा। जनपद मथुरा के ग्राम गोकुल खादर की गाटा सं0-01 में प्रस्तावित भूमि पर सिंचाई विभाग की वर्तमान में कोई भी योजना प्रस्तावित नहीं है किन्तु सिंचाई विभाग द्वारा भविष्य में किसी प्रकार का अन्य प्रयोजन होने पर 03 माह पूर्व सूचना (Notice) देकर भूमि वापस लिये जाने की दशा में निर्गत अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

15. प्रकरण में निर्धारित शासनादेशों/सुसंगत नियमों/विधिक नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. मुख्य सचिव महोदय द्वारा इस भूमि के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि फ्लड प्लेन जोन में स्थित भूमि पर अनुमन्य निर्माण के लिए प्रथमत: पी0पी0पी0 मॉडल पर प्रयास कर लिये जायें एवं इस प्रयास में असफल होने पर विभागीय बजट से परियोजना क्रियान्वित करायें।

5- अत: कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0 प्र0।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0 प्र0।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग, उ0 प्र0।
5. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,**
   सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, वित्त विभाग/नियोजन विभाग/न्याय विभाग, उ0 प्र0 शासन।
6. मण्डलायुक्त, आगरा।
7. जिलाधिकारी, मथुरा।
8. उपाध्यक्ष, मथुरा विकास प्राधिकरण, मथुरा।
9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा।
10. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
11. निदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. संयुक्त निदेशक, पर्यटन, आगरा,
13. उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अश्विनी कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in